सं0–1495/ II–2018–03(08)/2008, टी0सी0–I

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

चेयरमैन (एम0पी0–II)
गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग,
भारत सरकार,
तीसरी मंजिल, सिंचाई भवन,
पटना।

सिंचाई अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 31 जुलाई, 2018

विषय– सी0एस0एस0–एफ0एम0पी0 मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन "सोलानी नदी के किनारे बसे ग्रामों की आवादी एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु तटबन्ध एवं स्टड निर्माण की योजना (UK-15)" पर Investment Clearance की समयवृद्धि प्रदान किये जाने एवं अवशेष केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि "सोलानी नदी के किनारे बसे ग्रामों की आवादी एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु तटबन्ध एवं स्टड निर्माण की योजना (UK-15) की वर्ष 2012–13 में बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम (FMP) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी लागत रू0 1609.48 लाख थी। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना के पत्र सं0 GFCC/MP-II/265/2012/901, dt. 27.2.2013 द्वारा योजना को तकनीकी–आर्थिक रूप से अनुमोदित किया गया तत्पश्चात तत्कालीन योजना आयोग, भारत सरकार के पत्र संख्या 12(1)/44/2/2013-WR, दिनांक 31.5.2013 द्वारा योजना पर Investment Clearance प्रदान किया गया ।

भारत सरकार की Empowered Committee के पत्र संख्या Z-15014/1/2013-ganga /4523-46, दिनांक 27/12/2013 द्वारा प्रश्नगत योजना को बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम (FMP) के अन्तर्गत शामिल करत हुये 90:10 के फंडिंग पैटर्न के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई, तब से योजना का क्रियान्वयन बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है। प्रारम्भ में प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू0 1448.01 लाख तथा राज्यांश की धनराशि रू0 160.90 लाख निर्धारित थी। राज्यांश की समस्त धनराशि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा पूर्व में ही आवंटित की जा चुकी है, जिसका पूर्व में व्यय भी किया जा चुका है, जबकि केन्द्रांश के रूप में मात्र रू0 289.71 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसका पूर्ण व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र (फार्म 19–ए) भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका हैं ।

प्रश्नगत योजना को मार्च, 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित था एवं तद्नुसार ही तत्कालीन योजना आयोग द्वारा Investment Clearance भी प्रदान किया गया था, किन्तु लक्ष्य के अनुरूप समयानुसार धनावंटन न होने एवं भूमि अधिग्रहण में स्थानीय काश्तकारों के विरोध के फलस्वरूप योजना को निर्धारित समय पर पूर्ण किया जाना सम्भव नही हो पाया। वर्तमान में विभाग द्वारा प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्त बाधाओं को दूर कर लिया गया है ।

....2

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना के सदस्य (नियोजन) की अध्यक्षता में पॉच सदस्यीय मॉनिटरिंग समिति द्वारा प्रश्नगत योजना का दिनांक 8 एवं 9, जून, 2018 को स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है **(रिपोर्ट संलग्न)** तथा योजना को वर्तमान एफ0एम0पी0 गाईड लाईन्स के अनुसार FMBAP के अन्तर्गत जारी रखने तथा योजना को विलम्बतः मार्च, 2019 तक पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त मॉनिटरिंग समिति द्वारा वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित फंडिंग पैटर्न के आधार पर केन्द्रांश की धनराशि रू0 1361.23 लाख तथा राज्यांश की धनराशि रू0 247.77 लाख आंगणित की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू0 1071.522 लाख का आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जाना शेष है ।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सोलानी नदी के किनारे बसे ग्रामों की आवादी एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु तटबन्ध एवं स्टड निर्माण की निर्माणाधीन योजना (UK-15) के ANNEXURE—5, आवश्यक प्रमाण पत्र एवं REVISED FMP-1 प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना पर Investment Clearance हेतु मार्च, 2019 तक की समयवृद्धि प्रदान करते हुए अवशेष केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,
(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

सं0:– 1495 (1)/ ।।–2018–03(08)/2008, टी0सी0– ।, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके कार्यालय पत्र संख्या 2695/मुअवि/बजट/बी–1(सी0एस0एस0–एफ0एम0पी0) दिनांक 25 जुलाई, 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र पालीवाल) 31/7/18
अपर सचिव।